न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिजारिया बनाम राजेन्द्र S/o मन्नी माई बमनपुरा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- 38/2017

निर्णय दिनॉक :- 26/X/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमनपुरा की आ०ख०न० 161 कुल रकबा 1-57 किस्म जमीन गै०मु० में से रकबे पर श्री राजेन्द्र S/o मन्नी ने अनाधिकृत तलाई रूप से अतिक्रमण कर खुदाई कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिजारिया द्वारा दिनॉक 29/9/17 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू०अ०निरी० खेड़ादवान के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजेन्द्र S/o मन्नी जाति माई निवासी बमनपुरा को भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश नहीं किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ०ख०न० 161 रकबा 1-57 में से 0.01 रकबे किस्म गै०मु० तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- (Threeps) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिजारिया भू०अ०निरी० खेड़ादवान को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 2/11

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज०)